

प्रश्न,

विश्व विद्यालय,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

जवाब में,

निदेशिका,
माननीय उच्च शिक्षण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

संख्या 329भाग-2

संख्या उत्तरीय-1-92-329/74

विषय- विश्व विद्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची में शामिल करने के संबंध में।
प्रश्नकर्ता को उक्त सूची के स्थान पर उक्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची दी जाती है।

संदर्भ,

उपरोक्त विषयक शासनादेश No-580/उत्तरीय-1-92-329/74 दिनांक 1 जुलाई 1992, जिनके द्वारा विश्व विद्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तर प्रदेश के अन्दर बिना किसी भी प्रकार के विस्तृत यात्रा करने एवं वापसी कर भी न चलाये के बिना बिना किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क के अन्दर विश्व विद्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की 500 दिनों की विस्तृत यात्रा, वापसी कर अदा करने पर बिना किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क के अतिरिक्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों को वापसी कर अदा करने की सुविधा दी जा सकती है।

2- इस प्रश्नार्थक पर उत्तर दिनांक 01/07/92 में उक्त शासनादेश में उक्त प्राधिकरण द्वारा उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। उक्त सूची में शामिल पत्रकारों की सूची निम्नलिखित प्रदान की जाती है और उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को वापसी कर अतिरिक्त पत्रकारों द्वारा उक्त शुल्क अदा किया जा सकता है।

3- उक्त सूची में उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है।

उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है।

4- उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है।

111 अतिरिक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है। उक्त सूची में शामिल पत्रकारों को 500 दिनों की विस्तृत यात्रा करने की सुविधा दी जा सकती है।

- 121 अग्रिम का सुमान नष्ट न करने कि ड्राफ्ट/चैक द्वारा किया जाएगा।
- 122 उक्त अग्रिम आहरण 3 अक्षय्य भागन को प्रति कोर्ट हानि होगी तो कर्ते जिसे निवेदन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 3050 पूर्ण का से उत्तरदायी होगी।
- 144 उक्त अग्रिम का सवादीजन विनियमन 31 मार्च, 1995 तक अक्षय्य कर पहला जख और उन 11 सूचना आदेशकार, 3050, जनाहावाटा को भेज दी जाये।

5- उक्त के सम्बन्ध में प्रो. ए. सी. एम्मे का निवेदन हुआ है कि 3050 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा, सूचना निवेदन से सम्बन्ध प्राप्त पत्रकारों द्वारा उक्त पुस्तिका के अन्तर्गत का नई बाका का एक "कॉन्ट्रिब्यूट" पत्र का आदेशद्वारा 1 अक्षय्य पुस्तिका में अक्षय्य अक्षय्य अक्षय्य और एसी के आधार पर अग्रिम सुमान की गई धनराशि को सवादीजनित करते हुये अक्षय्य धनराशि का सुमान 3050 राज्य सड़क परिवहन निगम को किया जायगा।

6- उक्त व्यवस्थापन संख्या- 85 के लेखा शीर्षक -2220-सूचना और प्रचार आयोग-60-अक्षय्य-001-निवेदन और सुमान-16 अक्षय्य व्यवस्थापक विभाग अक्षय्य आदि के माते द्वारा जायगा।

7- एक आदेश उक्त विभाग के आदेशाधीन संख्या-8-7/2339/अक्ष-94 दिनांक 7 अक्टूबर 1994 में प्राप्त उम्मी अक्षय्य के जारी जिसे जा रहे हैं।

भक्तदीप

छा/-

1 अक्षय्य व्हाई।
विभाग। सचिव

संख्या- 141611/उम्मी-1-92-339/74टी0सी0 तदतिनांजित।

प्रतिनामि विनियमनित को सुमान्य एवं आक्षय्य वापसी हेतु प्रेषित :-

- 1- पहलावाकार, प्रथम, 3050 जनाहावाटा।
- 2- पत्रिका अक्षय्य-निवेदन:अक्षय्य-7
- 3- पत्रिका लेखा अक्षय्य-1।
- 4- परिवहन अक्षय्य-2
- 5- धरिष्ठ कोषाधिकारी, जनाहा अक्षय्य, अक्षय्य।
- 6- सुमान निवेदन/निवेदन एवं अक्षय्य सूचना अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी/आहरण एवं आक्षय्य अधिकारी, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 3050 अक्षय्य।
- 7- सूचना अक्षय्य-2
- 8- एक प्रति माई पत्राक्षय्य हेतु।
- 9- प्रथम निवेदन, 3050 राज्य सड़क परिवहन निगम, अक्षय्य।

आशा है,

छा/-

1 अक्षय्य व्हाई।
अक्षय्य विभाग।

पारदर्शन निगम मुख्यालय
लखनऊ

संख्या
सेवा में,

दिनांक

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
सूचना भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

विवरण

धनराशि (रु० में) -----

वित्तीय वर्ष.....में पारदर्शन निगम की बतों में
मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रदान की गयी निःशुल्क यात्रा
सुविधा के विवरणों को धनराशि -

योग रु०

स्पष्ट शब्दों में.....

प्रधान प्रबन्धक, यात्रा सुविधा एवं राजस्व

प्रमाण -पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि यह वित्त वित्तीय वर्षमें उत्तर प्रदेश पारदर्शन निगम की बतों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रदान की गयी विरायती यात्रा सुविधा के विवरणों को धनराशि से संबंधित है ।
2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह वित्त प्रथम है जिसका भुगतान पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस वित्त की धनराशि में निगम के 18 क्षेत्रों की बतों में मान्यता प्राप्त पत्रकारों द्वारा की गयी यात्रा के विवरणों को धनराशि सम्मिलित है ।

प्रधान प्रबन्धक, यात्रा सुविधा एवं राजस्व

निर्धारित प्राप्ति

पात्रो संख्या	कुल विधियों	विद्यार्थियों की धनराशि	पात्रों की धनराशि	सरकार की धनराशि	बोम्बार्ड की धनराशि	अन्य की धनराशि	योग
1	2	3	4	5	6	7	8

योग